

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश

श्री ठाकुर जगत प्रकाश सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल जामताड़ा के विरुद्ध निम्नलिखित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक सं० 6469 दिनांक- 08.11.12 के द्वारा पेंशन नियमावली के नियम 43 बी. के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी :-

- (i) दक्षिणीडीह तालाब योजना के कार्यों की मापी पुस्ति जाँच दल को उपलब्ध नहीं कराना।
- (ii) इस योजना में प्राक्कलन के सापेक्ष रूपये 32,551.44 का अनियमित भुगतान।
2. संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता के विरुद्ध उपरोक्त आरोप सं. (ii) प्रमाणित पाया गया।
3. उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई।
4. सम्यक समीक्षोपरान्त श्री सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता से उक्त प्रमाणित आरोप के लिए निम्न प्रस्तावित दण्ड के सापेक्ष द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।
(क) रू. 32551.44 (बत्तीस हजार पाँच सौ इक्यावन रू. एवं चौवालिस पैसे) मात्र 12% सूद के साथ वसूली एवं वृहद दण्ड के रूप में पेंशन से कटौती।
5. श्री सिंह तत्कालीन कनीय अभियंता से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गयी। श्री सिंह अपने द्वितीय कारण पृच्छा में उक्त कार्य को उडनदस्ता के प्रतिवेदन के आधार पर संतोषप्रद बताया है एवं मानवीय दृष्टिकोण से लगाये गये आरोप से मुक्त करने का अनुरोध किया है, जबकि इसके विचरित उडनदस्ता जाँच प्रतिवेदन में उक्त तालाब के शोड, बाथरूम एवं सीढी की गुणवत्ता अच्छी नहीं पाये जाने का उल्लेख है। संचालन पदाधिकारी द्वारा भी उक्त आरोप को प्रमाणित पाया गया है।

अतः श्री ठाकुर जगत प्रकाश सिंह, तत्कालीन कनीय अभियंता सम्प्रति सेवानिवृत्त के द्वितीय कारण पृच्छा को स्वीकार योग्य नहीं मानते हुए समीक्षोपरान्त निम्न दण्ड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है:-

(क) पेंशन से 3% की कटौती तीन वर्षों के लिए।

अतएव एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

801-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 4476

राँची/दिनांक 14.09.16

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) झारखंड, राँची/ कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, जामताड़ा/ उप सचिव (प्र.) जल संसाधन विभाग, राँची/ अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-3, जल संसाधन विभाग, राँची/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ✓

Vinay
14/09/16

सरकार के अवर सचिव।